राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–43 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री रविशंकर कुमार अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पोस्ट–अनीसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना, पिन कोड–800002

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
24.08.2022	श्री रविशंकर कुमार अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पोस्ट–अनीसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना, पिन कोड–800002 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–17.08.2022 इस कार्यालय में दिनांक–23.08.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 044465 दिनांक–18.07.2022 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री रविशंकर कुमार अकेला ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–11.07.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–11.07.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–11.07.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–15.09.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–43 / 2022–23

	आदेश फलक	
15.09.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री रविशंकर अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, थाना–बेऊर, पोस्ट–अनिसाबाद, पटना–800001 से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–11.07.2022, (जो दिनांक–12.07.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है) के माध्यम से सुश्री रजान्ती कुमारी द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक–17.03.2017 पर कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक–135 दिनांक–15.07.2022 के माध्यम से आवेदक को अपना निर्णय / सूचना संसूचित किया है तथा इसकी छायाप्रति समर्पित किया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। विदित हो कि अपीलार्थी ने प्रपत्र 'क' दिनांक–11.07.2022 में निम्नांकित सूचना की मॉग लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय सक की थीः– *"दिनांक–17.03.2017 को रजान्ती कुमारी, पिता–श्री चन्द्रदेव भगत, ग्राम–बसन विगहा, थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद, बिहार के निवासी के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन, पटना, बिहार को लिखित आवेदन पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त आवेदन पत्र पर किया गया कार्रवाई का अद्यतन रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र की सच्ची प्रतिलिपि उपलब्ध करावाये।"* उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपने पत्रांक–135 दिनांक–15.07.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना / निर्णय का प्रेषण कियाः– *"सूचनीय है कि " अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं।* *सूचनीय है कि आवेदिका सुश्री रजंती कुमारी, पिता–श्री चन्द्रदेव भगत द्वारा समर्पित परिवार पत्र दिनांक–17.03.2017 माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को संबोधित है, जिसकी प्रतिलिपि अन्य के साथ महामहिम राज्यपाल, बिहार को भी प्रेषित की गयी है। उल्लेखित विषय राज्यपाल सचिवालय से संबंधित नहीं है, जिस पर सम्प्रति पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।"* उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामला तृतीय पक्ष से भी संबंधित है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–11 के अन्तर्गत आच्छादित होता है। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यह सूचित किया जा चुका है कि आवेदिका द्वारा दिए गए परिवाद पत्र दिनांक–17.03.2017 के आलोक में इस सचिवालय द्वारा पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के सूचना दिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 15/9/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–43 / 2022–23

आदेश फलक

15.09.2022

लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री रविशंकर अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, थाना–बेऊर, पोस्ट–अनिसाबाद, पटना–800001 से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–11.07.2022, (जो दिनांक–12.07.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है) के माध्यम से सुश्री रजान्ती कुमारी द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक–17.03.2017 पर कृत कार्रवाई की सूचना की माँग की गई है।

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक–135 दिनांक–15.07.2022 के माध्यम से आवेदक को अपना निर्णय / सूचना संसूचित किया है तथा इसकी छायाप्रति समर्पित किया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

विदित हो कि अपीलार्थी ने प्रपत्र 'क' दिनांक–11.07.2022 में निम्नांकित सूचना की माँग लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय सक की थीः–

"दिनांक–17.03.2017 को रजान्ती कुमारी, पिता–श्री चन्द्रदेव भगत, ग्राम–बसन विगहा, थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद, बिहार के निवासी के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन, पटना, बिहार को लिखित आवेदन पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त आवेदन पत्र पर किया गया कार्रवाई का अद्यतन रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र की सच्ची प्रतिलिपि उपलब्ध करावाये।"

उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपने पत्रांक–135 दिनांक–15.07.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना / निर्णय का प्रेषण कियाः–

"सूचनीय है कि " अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं।

सूचनीय है कि आवेदिका सुश्री रजंती कुमारी, पिता–श्री चन्द्रदेव भगत द्वारा समर्पित परिवार पत्र दिनांक–17.03.2017 माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को संबोधित है, जिसकी प्रतिलिपि अन्य के साथ महामहिम राज्यपाल, बिहार को भी प्रेषित की गयी है। उल्लेखित विषय राज्यपाल सचिवालय से संबंधित नहीं है, जिस पर सम्प्रति पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।"

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामला तृतीय पक्ष से भी संबंधित है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–11 के अन्तर्गत आच्छादित होता है। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यह सूचित किया जा चुका है कि आवेदिका द्वारा दिए गए परिवाद पत्र दिनांक–17.03.2017 के आलोक में इस सचिवालय द्वारा पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के सूचना दिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।

15/9/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–
प्रथम अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक– 1221/रा०स०(iv) दिनांक– 16-09-2022

प्रतिलिपिः– लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / श्री रविशंकर अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, थाना–बेऊर, पोस्ट–अनिसाबाद, पटना–800001 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी